निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 48 / 2024
दायरा दिनांकः—08.09.2024
निर्णय दिनांकः— 15.1.25

उनवान

1. अमृतलाल आयु 45 वर्ष आत्मज बिशनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम बीलखेडा (कंचनपुरा) तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. रामदयाल आयु 40 वर्ष आत्मज बिशनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम बीलखेडा (कंचनपुरा) तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 15.1.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह— प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम दीलोद तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान मे भूमि खसरा नम्बर 15/424 रकबा 1.5176 हैक्टयर अवस्थित है जो प्रार्थीगण के खातेदारी एंव कब्जे काश्त मे चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी अर्थात राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी मे प्रार्थीगण के पिता का नाम बिशनलाल के स्थान पर भूलवंश सहवन से किशनलाल दर्ज हो गया है जब कि प्रार्थीयान के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड मे प्रार्थीयान के पिता का नाम विशनलाल ही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी में प्रार्थीयान के पिता का नाम विशनलाल के स्थान पर किशनलाल दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीयान को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा कृषि से संम्बन्धित प्ररम्भ की जा रही योजनाओ के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। और प्रार्थीयान को के.सी.सी. एंव लोन इत्यादि का लाभ भी नही मिल पा रहा है इस कारण प्रार्थीयान को भंयकर रूप से आर्थिक क्षति हो रही है। प्रार्थीयान ने अप्रार्थी तहसीलदार छबड़ा के संबंधित रेवेन्यु अधि कारियो से सम्पर्क कर राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी मे प्रार्थीयान के पिता का नाम खाते में दर्ज किशनलाल के स्थान पर बिशनलाल दर्ज कर खाते मे इन्द्राज दुरूस्त करने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु प्रार्थीगण की कोई सुनवाई नही की अन्त मे दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

28/08/2024 को पुनः अनुरोध करने पर अप्रार्थी तहसीलदार छबडा द्वारा खाते मे इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र न्यायालय एस.डी. ओ. छबडा में पेश करने की प्रार्थीयान को हिदायत दी अतः यही दिनांक 28/08/2024 बिनाय मुख्बारतमत प्रार्थना पत्र कायम किया जाता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन नकल जमाबन्दी ग्राम दीलोद सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 227 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बीलखेडा तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी में चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम बिशनलाल के स्थान पर भूलवश सहवन से किशनलाल दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता का नाम बिशनलाल दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम बिशनलाल के स्थान पर किशनलाल दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीगण को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है प्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान हो रहा है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम किशनलाल के स्थान पर बिशनलाल दर्ज करने के आदेश फरमावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी दीलोद सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 227 में प्रार्थीगण के पिता का नाम किशनलाल दर्ज है आधार कार्ड अमृतलाल एवं राशन कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम बिशनलाल दर्ज है प्रार्थीगण के नाम के सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम दीलोद की जमाबन्दी खाता संख्या 227 में दर्ज खातेदार अमृतलाल पुत्र किशनलाल व रामदयाल पुत्र किशनलाल के स्थान पर अमृतलाल पुत्र बिशनलाल व रामदयाल पुत्र बिशनलाल दर्ज राजस्व रिकार्ड करवाना चाहतें है। जमाबन्दी सम्वत् 2043–46 खाता संख्या 152 के अनुसार प्रार्थीया के पिता का नाम बिशनलाल दर्ज है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2043–46 खाता संख्या 152 के अनुसार वर्तमान खाता संख्या 227 में दर्ज अमृतलाल पुत्र किशनलाल व रामदयाल पुत्र किशनलाल के स्थान पर अमृतलाल पुत्र बिशनलाल व रामदयाल पुत्र बिशनलाल जाति मेघवाल दर्ज किया जाना उचित होगा। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित होता है कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम किशनलाल था। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का किशनलाल गलत दर्ज किया है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम दीलोद तहसील छबडा के खसरा नम्बर 15/424 रकबा 1.5176 है0 में प्रार्थीगण के पिता का नाम किशनलाल के स्थान पर बिशनलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा